

## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 04 / 2025 बउनवानी देवीलाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा पुत्र श्री सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाई माधोपुर

GCMS No-2025/80

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.2.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.12.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " <u>नाहरी कलां की राजस्व सीमा मे स्थित पुराना ख0न0 115,116 सम्वत् 2058 की जमाबंदी आधार वर्ष संलग्न जमाबन्दी के अनुसार</u> " तहसीलदार चौथ का बरवाडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: भू.अ./2024/39 दिनांक 24.2.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्त के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्त को तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा जरिये पत्रांक/भू.अ./2025/10 दिनांक 16.01.2025 से पुराने ख0न0 115,116 की सम्वत् 2058 की जमाबन्दी उपलब्ध करवायी जा चुकी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.12.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 10 दिनांक 16.01.2025 से अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचनाए अपीलान्त को उपलब्ध हो चुकी है, इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p>(शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>

